बद्री गायों के उन्नयन हेतु फील्ड परफोरमेन्स रिर्काडिंग के माध्यम से मिल्क रिर्काडिंग हेतु दिशा–निर्देश

- बद्री गायों के उन्नयन हेतु फील्ड परफोरमेन्स रिर्काडिंग के माध्यम से मिल्क रिर्काडिंग का कार्य राज्य के पर्वतीय जनपदों में किया जायेगा।
- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अपने–अपने जनपद में उन ग्रामों के समूहों का चयन करेगें जहां पर बद्री गायों की संख्या अधिक से अधिक हो।
- मिल्क रिर्काडिंग का कार्य ऐसी बद्री गायों में किया जायेगा जिनका पूर्व ब्यांत में दुग्ध उत्पादन 3.5 लीटर प्रतिदिन से अधिक हो।
- मिल्क रिर्काडर हेतु स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का चयन किया जाय जो कि उसी ग्राम/न्याय पंचायत का स्थानीय निवासी हों। गांवों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मिल्क रिकार्डर्स की संख्या का निर्धारण किया जाय।
- मिल्क रिर्काडरों के चयन के उपरान्त उन्हें एक दिवसीय मिल्क रिर्काडिंग का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण उपरान्त समस्त मिल्क रिकार्डर को मिल्क रिर्काडिंग हेतु अभिलेख/ रजिस्ट्रर, 12 डिजिट के यूनिक आईडेटिफिकेशन टैग, टैग मशीन, दुग्ध मापन जार तथा दुग्ध परीक्षण हेतु टेस्ट टयूब आदि उपलब्ध करायी जायेगी।
- चयनित ग्रामों में बद्री गायों की पहचान 12 डिजिट के यूनिक आईडेटिफिकेशन टैग द्वारा की जायेगी। पशुपालक एवं पशु का पंजीकरण इनाफ साफ्टवेयर पर किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत चयनित मिल्क रिर्काडर द्वारा ही मिल्क रिर्काडिंग का कार्य किया जायेगा।
- एक मिल्क रिकार्डर द्वारा एक दिन में 5 से अधिक बद्री गायों की मिल्क रिर्काडिंग नहीं की जायगी।
- मिल्क रिर्काडिंग हेतु चयनित बद्री गाय के ब्याने के 5वें दिन से 25वें दिन के अन्दर प्रथम मिल्क रिर्काडिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय। उससे अधिक अवधि के ब्याये हुए पशुओं में मिल्क रिकार्डिंग का कार्य नहीं किया जाय।
- गाय की मिल्क रिर्काडिंग प्रत्येक माह में एक निश्चित तिथि को प्रातः एवं सांय होगी। यह प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को दुहान के स्थान पर होगी। प्रत्येक माह एक–एक मिल्क रिर्काडिंग (प्रातः/सांय) की जायेगी। (दुग्ध रिकार्डिग, नियत रिर्काडिंग की तिथि से 5 दिन पूर्व या 5 दिन बाद भी हो सकती है।)
- गाय की मिल्क रिर्काडिंग प्रत्येक माह में एक निश्चित तिथि को प्रातः एवं सांय होगी। यह प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को दुहान के स्थान पर होगी। प्रत्येक माह एक–एक मिल्क रिर्काडिंग (प्रातः/सांय) की जायेगी। (दुग्ध रिकार्डिग, नियत रिर्काडिंग की तिथि से 5 दिन पूर्व या 5 दिन बाद भी हो सकती है।)
- प्रत्येक गाय की कम से कम 16 रिर्काडिंग (प्रातः/सांय) एवं अधिकतम 20 रिकार्डिंग (प्रातः/सांय) की जाय, परियोजना के तहत 20 रिकार्डिंग (प्रातः/सांय) अथवा पशु के दूध सूखने तक मिल्क रिर्काडिंग की जाय।

- ❖ मिल्क रिर्कोडर को मिल्क रिकार्डिंग का शेड्यूल तैयार कर समय पर उपलब्ध कराया जाय, जिसमें पशु का विवरण, रिकार्डिग का विवरण, पशुपालक का पता, गांव का नाम, मिल्क रिर्काडिंग की तिथि एवं समय होगा।

- ❖ मिल्क रिर्काडिंग हेतु प्लास्टिक के पारदर्शी मापन जार का प्रयोग किया जायेगा, जो 100 मिली0 तक की माप कर सके।

- ❖ मिल्क रिर्काडिंग के उपरान्त प्रातः की गयी मिल्क रिर्काडिंग के सैम्पल नजदीकी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों/दुग्ध समितियों से फैट/एसएनएफ आदि परीक्षण कराकर पंजिका/इनाफ में अभिलेखित किया जाय।

- ❖ प्रत्येक पशु की मिल्क रिर्काडिंग 10 माह तक (प्रत्येक माह एक दिन सुबह एवं सांय) या पशु के दूध से सूखने तक जो भी पहले हो की मिल्क रिर्काडिंग नियमित रूप से की जायेगी।

- ❖ पशु के दूध सूखने/छोड़ने की तिथि को भी अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।

- ❖ मिल्क रिर्काडिंग के दिन बछड़े/बछड़ी को सीधे थन से दूध नहीं पिलाया जाय। चारों थनों का मिल्क रिर्काडिंग करके कृषक को सलाह दी जाये कि वह बछड़े/बछड़ी को अलग से दूध पिलाये।

- ❖ पशु के बीमार होने या पहले हुई रिर्काडिंग से 50 प्रतिशत तक दूध में कमी होने पर मिल्क रिर्काडिंग न की जाय। ऐसे मामलों में दूध में कमी होने का कारण अभिलेखों में दर्ज किया जाय तथा कम से कम 5 दिनों के अन्दर पुनः मिल्क रिर्काडिंग प्रारम्भ की जाय।

- ❖ यदि पशु एक समय दूध दे रहा है तो उसकी मिल्क रिर्काडिग एक समय ही की जाय, दूसरा समय (प्रातः या सांय) खाली छोड़ दिया जाय।

- ❖ मिल्क रिर्काडिंग दूध के दुहान के तुरन्त उपरान्त झॉग रहने की स्थिति में न की जाय। दूध के झॉग बैठने के उपरान्त ही मिल्क रिर्काडिंग की जाय।

- ❖ प्रत्येक मिल्क रिर्काडिंग के उपरान्त मिल्क रिर्काडिंग का विवरण मिल्क रिर्काडिंग कार्ड पर अंकित कर पशु मालिक को कार्ड दे दिया जाय।

- ❖ प्रत्येक मिल्क रिर्काडिंग का विवरण इनाफ साफ्टवेयर एवं रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाय।

- ❖ मिल्क रिर्काडिंग हेतु चयनित पशुओं के पशु स्वामी को 10 मिल्क रिर्काडिंग पूर्ण होने पर ₹1000.00 (एक हजार मात्र) की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

- ❖ प्रत्येक मिल्क रिर्काडर को प्रति पशु 20 मिल्क रिर्काडिंग (एक सुबह एवं एक सांय) पर ₹50.00 प्रति मिल्क रिर्काडिंग की दर से मानदेय दिया जायेगा।

- ❖ मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा अपने जनपद से सम्बन्धित चयनित बद्री गायों की सूची के अनुरूप ही प्रत्येक विकासखण्ड में बद्री गायों में मिल्क रिर्काडिंग का कार्य किया जायेगा।